WEB COPY NOT OFFICIAL

न्यायालय :—न्यायिक मजिस्ट्रेट, सादड़ी, जिला पाली (राज.)

पीठासीन अधिकारी :— हिमानी कच्छवाह आर.जे.एस., J.O. Code-RJ01375

(05 वर्ष से अधिक पुराना प्रकरण)

निर्णय दिनांक	08.06.2026
फौजदारी मूल प्रकरण संख्या	507/2018
सी.आई.एस. संख्या	507/2018
सी.एन.आर. संख्या	RJPL22-000056-2018
प्रथम सूचना रिपोर्ट सं.	68/2018
आरोप पत्र सं.	46/2018
अपराध अंतर्गत धारा	279, 337, 338 भा.दं.सं. व 134/187, 146/196 एमवी एक्ट
पुलिस थाना	सादड़ी (जिला—पाली)

राजस्थान राज्य

——परिवादी

बनाम

मांगीलाल पुत्र हेमाराम, निवासी भादरास, सादडी, जिला पाली, राज.।

——अभियुक्त

अपराध अन्तर्गत धारा 279, 337, 338 भा.दं.सं. व 134/187, 146/196 एमवी एक्ट

उपस्थित :—

1. सहायक अभियोजन अधिकारी वास्ते राज्य,
2. श्री छगन गेहलोत, दिनेश माली विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से।

:: प्रकरण का संक्षिप्त विवरण ::

प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि	20.04.2018
आरोप पत्र प्रस्तुत किये जाने की तिथि	26.07.2018
आरोप विरचित किये जाने की तिथि	26.07.2018
साक्ष्य आरंभ करने की तिथि	23.10.2018
निर्णय आरक्षित किये जाने की तिथि	06.06.2026
निर्णय की तिथि	08.06.2026

— : निर्णय :—

दिनांक :— 08.06.2026

1. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 20.04.2018 को प्रार्थी पकाराम पुत्र प्रभुराम ने पुलिस थाना सादडी में उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि उसका भाई व अन्य जुणा गांव की नाडी के पास खडे–खडे बात कर रहे थे तभी अचानक तेज गति से आ रही पल्सर आरजे–22–एसपी–7572 एक दम तेज गति से जोरदार टक्कर मारी, जिससे उसके भाई रतन कुमार पुत्र प्रभुलाल मीणा निवासी सेवाडी, विनोद कुमार पुत्र रामलाल निवासी पादरला तथा मांगीलाल पुत्र मोहनलाल मीणा निवासी सेवाडी गंभीर रूप से घायल हुए और उनकी गाडी आरजे–22–एमएच–6536 भी क्षतिग्रस्त हुई। दिनांक 19.04.2018 को शाम 07.00 बजे के आस–पास घटनास्थल से राजकीय अस्पताल सादडी पहुंचाया गया। वहां पर प्रारंभिक उपचार के बार उन्हें सुमेरपुर राज आर्थोपेडिक अस्पताल में रेफर किया गया। वर्तमान में वहीं पर उनका उपचार चल रह है.............इत्यादि।

2. उक्त रिपोर्ट पर थानाधिकारी पुलिस थाना सादड़ी, पाली द्वारा प्रकरण संख्या 068/2018 अपराध अन्तर्गत धारा 279, 337 भारतीय दण्ड संहिता में पंजीबद्ध किया जाकर अन्वेषण प्रारम्भ किया व बाद अनुसंधान थानाधिकारी, सादड़ी जरिये सहायक अभियोजन अधिकारी अभियुक्त मांगीलाल के विरूद्ध आरोप पत्र सं. 046/2018 अपराध अंतर्गत धारा 279, 337, 338 भारतीय दण्ड संहिता व 134/187, 146/196 एमवीएक्ट में न्यायालय में पेश किया गया, जिस पर अभियुक्त मांगीलाल के विरुद्ध उक्त धाराओं में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

3. अभियुक्त मांगीलाल को दिनांक 26.07.2018 को धारा 279, 337, 338 भारतीय दण्ड संहिता व 134/187, 146/196 एमवीएक्ट के आरोप पृथक् से विरचित कर सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्त ने सुन व समझकर आरोपों से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

4. दौराने विचारण अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में निम्नलिखित साक्षीगण को परीक्षित करवाया गया :—

—: अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाह सूची :—

क. अभियोजन :—

क्र. सं.	परीक्षण का क्रमांक	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
1	पी.डब्ल्यू. 01	पकाराम	ताईद एफआईआर

2	पी.डब्ल्यू. 02	रतन	पीडित
3	पी.डब्ल्यू. 03	मांगीलाल	पीडित
4	पी.डब्ल्यू. 04	विनोद	पीडित
5	पी.डब्ल्यू. 05	हिम्मतराम	मौत. जब्ती मोटरसाईकिल आरजे 22 एसक्यू 6536
6	पी.डब्ल्यू. 06	सुरेन्द्र सिंह	मौत. जब्ती मोटरसाईकिल आरजे 22 एसपी 7572
7	पी.डब्ल्यू. 07	डां. राजेन्द्र सिंह राठौड	आईआर देना
8	पी.डब्ल्यू. 08	कूपाराम	वाहनों का मैकेनिकल करना
9	पी.डब्ल्यू. 09	मोहनलाल	मौत. जब्ती मोटरसाईकिल आरजे 22 एसपी 7572
10	पी.डब्ल्यू. 10	रणजीतसिंह	तफ्तीश हालात

5. दौराने विचारण अभियोजन पक्ष की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाया गया :—

—: अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श सूची सूची :—

क. अभियोजन :—

क्र.सं.	दस्तावेजों की प्रकृति	प्रदर्श
1	लिखित रिपोर्ट	प्रदर्श पी. 01
2	फर्द नक्शा मौका	प्रदर्श पी. 02
3	फर्द जब्ती मोटर साइकिल आरजे 22 एस क्यू 6536	प्रदर्श पी. 03
4	मोटर साइकिल सुपुर्दगीनामा	प्रदर्श पी. 04
5	चोट प्रतिवेदन रतन कुमार	प्रदर्श पी. 05
6	एक्स रे कवर नोट रतन कुमार	प्रदर्श पी. 06
7	एक्स रे प्लेट रतन कुमार	प्रदर्श पी. 07
8	चोट प्रतिवेदन मांगीलाल	प्रदर्श पी. 08
9	चोट प्रतिवेदन विनोद	प्रदर्श पी. 09
10	एक्स रे कवर नोट विनोद	प्रदर्श पी. 10

WEB COPY NOT OFFICIAL

11	एक्स रे प्लेट विनोद	प्रदर्श पी. 11
12	पुलिस बयान विनोद कुमार	प्रदर्श पी. 11
13	फर्द जब्ती आरजे 22 एसपी 7572	प्रदर्श पी. 12
14	मैकेनिकल मुआयना मोटर साईकिल हिरो एचएफ डिलक्स आरजे 22 एसक्यू 6536	प्रदर्श पी. 13
15	मोटर साईकिल पल्सर आरजे 22 एसपी 7572 का मैकेनिकल मुआयना	प्रदर्श पी. 14
16	चाक एफआईआर	प्रदर्श पी. 15
17	33 व 134 एमवी एक्ट का नोटिस	प्रदर्श पी. 16
18	दुर्घटनाग्रस्त व दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन के फोटोग्राफ्स	प्रदर्श पी. 17 से 23

(सहवन से प्रदर्श पी. 11 दो पृष्ठों पर अंकित किया गया)

इस प्रकार साक्ष्य अभियोजन समाप्त की गयी।

6. अभियुक्त के बयान मुलजिम अंतर्गत धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत लिये गये, जिसमें अभियुक्त ने उसके विरुद्ध आयी अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताया एवं गवाहान के द्वारा झूठे मुकदमे में फंसाये जाने का कथन किया तथा साक्ष्य प्रतिरक्षा पेश करना नहीं चाहा।

7. बहस अंतिम उभयपक्ष सुनी गयी। बहस के दौरान विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने तर्क प्रस्तुत किया कि अभियुक्त के विरूद्ध पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं है। परिवादी पक्ष की ओर से परीक्षित गवाहों के बयानों में गम्भीर विरोधाभास उभर कर आये हैं। अन्त में अभियुक्त को आरोपित अपराधों से दोषमुक्त घोषित किये जाने का निवेदन किया। उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए सहायक अभियोजन अधिकारी ने अभियुक्त के विरुद्ध आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे साबित होने का कथन करते हुए अभियुक्त को दोषसिद्ध घोषित किये जाने का निवेदन किया गया।

8. न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय बिन्दु है जिसका निस्तारण न्यायालय को करना है :-

"क्या अभियुक्त ने दिनांक 19.04.2018 को शाम करीब 7.00 पी.एम बजे या उसके लगभग मौजा जुणा में सादडी से मालारी लाटाडा जाने वाले रास्ते पर मोटर साईकिल संख्या आरजे 22 एसपी 7572 को उपेक्षा व उतावलेपन से

WEB COPY NOT OFFICIAL

चलाकर मानव जीवन संकटापित किया तथा गांव की नाडी के पास खडे प्रार्थी पकाराम के भाई रतनकुमार व विनोद कुमार व मांगीलाल को टककर मारी जिसके परिणामस्वरूर मांगीलाल को साधारण उपहतियां कारित हुई तथा रतन कुमार व विनोद कुमार को साधारण व घोर उपहतियां कारित हुई तथा अभियुक्त द्वारा बीमा रहित वाहन से दुर्घटना कर चोटग्रस्त आहतगण को बिना प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध करवाये मौके से भाग गये। इस प्रकार अभियुक्त का उक्त कृत्य धारा 279, 337, 338 भारतीय दण्ड संहिता व 134/187 व 146/196 मोटर वाहन अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध है?

''यदि हां तो उचित दण्डादेश क्या होगा?''

9. उपरोक्त अवधारणीय प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन एवं विवेचन किया जावे तो अभियोजन पक्ष ने आरोपित अपराध को प्रमाणित करने हेतु कुल 10 गवाहों को परीक्षित कराया है। प्रकरण में गवाह पी. डब्ल्यू. 01 पकाराम ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 19.04.18 को लगभग 07–07:30 बजे की बात है। उसके भाई रतन कुमार ने उसे फोन करके बताया कि वह मांगीलाल पुत्र मोहनलाल व विनोद वो जुणा गाँव की नाडी की पास सड़क के नीचे खड़े खड़े बाते कर रहे थे तभी एक पल्सर तेज गती व लापरवाही से आयी जिसके नंबर आरजे 22 एसपी 7572 थे। जिसको मांगीलाल पुत्र हेमाराम निवासी भादरास चला रहा था उसने उनको जहाँ वे बाते कर रहे थे वहाँ आकर टक्कर मारी। दुर्घटना में पूरी गलती मांगीलाल पुत्र हेमाराम की थी। इस बात की उसने एक एफआईआर सादडी थाने में दी जो प्रदर्श पी 01 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। पुलिस वालो ने घटना का नक्शा मौका उसके रूबरू बनाया जो प्रदर्श पी 02 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है जो पुलिस वालो ने जुणा खेडा की नाडी के पास बनाया था। पुलिस वालो ने रतन कुमार की मोटर साइकल उसके रूबरू जब्त की थी जो प्रदर्श पी 03 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। पुलिस वालो ने उसके भाई की मोटरसाईकल को उसके सामने उसे सुपुर्द किया था जो प्रदर्श पी 04 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। दुर्घटना के समय उसके भाई व उसके दोस्त अपनी मोटरसाईकल रोड के साईड में सडक के नीचे खडी करके बाते कर रहे थे।

10. गवाह पी.डब्ल्यू. 02 रतन ने अपने मुख्य परीक्षण में सशपथ बयान दिए हैं कि की दिनांक 19.04.18 की बात है। उस रोज वह उसके दोस्तो मांगीलाल पुत्र मोहनलाल व विनोद के साथ जुणा गाँव नाडी के पास उसकी बाईक खडी करके बाते कर रहे थे। उस समय लगभग शाम के सात साढ़े सात बज रहे थे। तभी एक पल्सर

WEB COPY NOT OFFICIAL

मोटरसाइकल तेज गति व लापरवाही से आयी। जिसके नंबर आरजे 22 सीपी 7572 थे। जिसको मांगीलाल पुत्र हेमाराम निवासी भादरास चला रहा था। चालक के बारे में उन्हें वहाँ खडे लोगो ने बताया कि वह मांगीलाल है। दुर्घटना में गलती मांगीलाल पुत्र हेमाराम की थी। उसने पुलिस वालो को घटना का नक्शा मौका बताया जो प्रदर्श पी 02 जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है पुलिस वालो ने उसकी मोटरसाइकल डिलक्स आरजे 22 एसक्यु 6536 उससे जब्त की थी फर्द जब्ती प्रदर्श पी 03 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। फर्द सुपुदर्गी बाईक प्रदर्श पी 04 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है जो कि उसके थाना सादडी ने सुपुर्द की। उसने दुर्घटना में आयी चोटो का मेडिकल करवाया जो प्रदर्श पी 05 है जिसके एक्स स्थान पर उसका अगुंठा निशान है। उसने अपने एक्स रे भी करवाये थे। एक्स रे कवर नोट प्रदर्श पी 06 है व एक्स रे प्लेट प्रदर्श पी 07 है। दुर्घटना में उसके दाये हाथ की दो अगुंलीयों की हड्डीया टुटी व शरीर पर अन्य जगह भी चोटे कारित हुई।

11. इसी क्रम में पी.डब्ल्यू 03 मांगीलाल ने अपने मुख्य परीक्षण में सशपथ बयान दिए हैं कि साक्ष्य दिवस से करीब डेढ साल पहले की बात है। उस रोज वह उसके दोस्तो रतन व विनोद के साथ जुणा गाँव नाडी के पास अपनी बाईक खड़ी करके बाते कर रहे थे। उस समय लगभग शाम के सात साढे सात बज रहे थे। तभी एक लाल रंग की पल्सर मोटरसाइकल तेज गती व लापरवाही से आयी। जिसके नंबर आरजे 22 सीपी 7572 थे। जिसको मांगीलाल पुत्र हेमाराम निवासी भादरास चला रहा था। चालक के बारे में उन्हे वहाँ खड़े लोगों ने बताया कि वह मांगीलाल है। दुर्घटना में गलती मांगीलाल पुत्र हेमाराम की थी। उसने दुर्घटना में आयी चोटो का मेडिकल करवाया जो प्रदर्श पी 08 है।

12. इसी क्रम में पी.डब्ल्यू 04 विनोद ने अपने मुख्य परीक्षण में सशपथ बयान दिए हैं कि कि दिनांक 19.04.18 की बात है। उस रोज वह उसके दोस्तो मांगीलाल पुत्र मोहनलाल व रतन के साथ जुणा गाँव नाडी के पास अपनी बाईक खडी करके बाते कर रहे थे। उस समय लगभग शाम के सात साढे सात बज रहे थे। तभी एक पल्सर मोटरसाइकल तेज गति व लापरवाही से आयी। जिसके नंबर उसके याद नही है। जिसको कौन चला रहा था उकिे नहीं पता। दुर्घटना में गलती पल्सर चालक की थी। उसने दुर्घटना में आयी चोटो का मेडिकल करवाया जो प्रदर्श पी 09 है। उसने अपने एक्स रे भी करवाये थे। एक्स रे कवर नोट प्रदर्श पी 10 है व एक्स रे प्लेट प्रदर्श पी 11 है। दुर्घटना में उसके दाहिना पैर की हड्डी टुटी थी व शरीर पर अन्य जगह पर भी चोट कारित हुई थी।

13. इसी क्रम में पी.डब्ल्यू 05 हिम्मतराम ने अपने मुख्य परीक्षण में सशपथ बयान दिए हैं कि साक्ष्य दिवस से करीबन 6 साल पहले की बात है। रतन, विनोद और

मांगीलाल का जूना मे एक्सीडेंट हुआ था उस बात का पुलिस ने मौका बनाया था जो मौका नक्शा प्रदर्श 2 है जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है मौका बनाया उस समय रतन कुमार और पकाराम साथ में थे। पुलिस वालों ने उसके सामने उसी रोज मोटर साईकिल जब्ती की थो जो कि प्रदर्श पी 3 है जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। फिर उसके बाद में रतनलाल को उनके सामने मोटर साईकिल सुपुर्द की थी जिसकी फर्द सुपुर्दगी प्रदर्श 4 है जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है।

14. इसी कम में पी.डब्ल्यू 06 सुरेन्द्र सिंह ने अपने मुख्य परीक्षण में सशपथ बयान दिए हैं कि दिनांक 01.05.2018 को वह पुलिस थाना सादडी मे हैड कानि के पद पर कार्यरत था। उस रोज मुकदमा नं. 68/2018 धारा 279, 337, 338 भादस मे आई ओ रणजीत सिंह ने उसके व मोहनलाल कानि. के सामने दुर्घटना कारित मोटर साईकिल पल्सर आर.जे.–22–एस पी–7572 को जरिये फर्द जब्ती प्रदर्श 12 के जब्त किया जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

15. इसी कम में पी.डब्ल्यू 07 डां. राजेन्द्र सिंह राठौड ने अपने मुख्य परीक्षण में सशपथ बयान दिए हैं कि वह दिनांक 19.04.2018 को सीएचसी, सादडी में चिकित्सा अधिकारी के पद पर उपस्थित था। उसी रोज उसने पुलिस तहरीर पर मजरूब मांगीलाल पुत्र मोहनलाल उम्र 27 वर्ष का मेडिकल मुआयना कर चोट प्रतिवेदन तैयार किया, जो कि प्रदर्श पी 8 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है. सी से डी पहचान चिहन है। प्रदर्श पी. 8 मजरूब मांगीलाल के आयी चोटे निम्न प्रकार है– चोट संख्या 1. दाहिने घुटने पर रगड के निशान एवं खून का बहाव था, चोट का आकार 3 गुणा 2 सेमी. था। चोट संख्या 2. दाहिने हाथ पर रगड़ का निशान था, चोट का आकार 2 गुणा 2.5 सेमी. उक्त वर्णित दोनों चोटें साधारण प्रकृति की एवं भोटे हथियार से कारित थी। उपरोक्त मजरूब की समस्त चोटें परीक्षण समय से 24 घंटे की भीतर की थी। उसी रोज उसने पुलिस तहरीर पर मजरूब रतन कुमार पुत्र प्रभुराम उम्र 32 वर्ष का मेडिकल मुआयना कर चोट प्रतिवेदन तैयार किया, जो प्रदर्श पी. 5 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है, सी से डी पहचान चिह्न है। प्रदर्श पी. 5 मजरूब रतन कुमार के आयी चोटे निम्न प्रकार है–चोट संख्या 1. दाहिने हाथ पर सूजन व नीलगू थी, चोट का आकार 4 गुणा 2 सेमी. था। उक्त चोट हेतु एक्सरे की राय दी गई थी, प्रदर्श पी. 5 में वर्णित एक्सरे राय ई से एफ है, जिसके अनुसार अस्थि भंग पाया गया। चोट संख्या 1 गंभीर प्रकृति की तथा भोटे हथियार से कारित थी। चोट संख्या 2. दाहिने गाल पर रगड़ का निशान था, चोट का आकार 2 गुणा 2 सेमी. था। उक्त वर्णित चोट साधारण प्रकृति की एवं भोटे हथियार से कारित थी। उपरोक्त मजरूब की समस्त चोटें परीक्षण

WEB COPY NOT OFFICIAL

समय से 24 घंटे की भीतर की थी। उसी रोज उसने पुलिस तहरीर पर एक अन्य मजरूब विनोद कुमार पुत्र रामलाल उम्र 28 वर्ष का मेडिकल मुआयना कर चोट प्रतिवेदन तैयार किया, जो प्रदर्श पी. 9 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है, सी से डी पहचान चिह्न है। प्रदर्श पी. 9 में मजरूब विनोद कुमार के आयी चोटे निम्न प्रकार है– चोट संख्या 1. दाहिने पैर पर दर्द की शिकायत थी। उक्त चोट हेतु एक्सरे की राय दी गई थी, प्रदर्श पी. 9 में वर्णित एक्सरे राय ई से एफ है, जिसके अनुसार अस्थि भंग पाया गया। चोट संख्या 1 गंभीर प्रकृति की तथा भोटे हथियार से कारित थी। चोट संख्या 2. दाहिनी कोहिनी पर रगड का निशान था, चोट का आकार 3 सेमी. था। उक्त वर्णित चोट साधारण प्रकृति की एवं भोटे हथियार से कारित थी। उपरोक्त मजरूब की समस्त चोटें परीक्षण समय से 24 घंटे की भीतर की थी।

16. इसी क्रम में पी.डब्ल्यू 08 कूपाराम ने अपने मुख्य परीक्षण में सशपथ बयान दिए हैं कि वह दिनांक 22.04.2018 को पुलिस थाना सादडी में कानि चालक के पद पर पदस्थापित था। उस रोज उसने मोटर साईकिल हिरो एचएफ डिलक्स वाहन संख्या आरजे 22 एसक्यू 6536 का मैकेनिकल मुआयना पुलिस थाना सादडी परिसर में खडी किया था, जो प्रदर्श पी. 13 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उक्त वाहन के निम्न टूट–फूट आयी हुई थी– 1. मोटरसाईकिल के हेड लाईट टूटी हुई थी। 2. मोटरसाईकिल की डिग्गी टूटी हुई थी। 3. मोटरसाईकिल का पिछला दांयी तरफ का इण्डीकेटर टूटा हुआ था। 4. मोटरसाईकिल के बांयी तरफ के साईड मिरर पर रगड आयी हई थी। उक्त वाहन को चलाकर देखा था तो वाहन चालू हालत में था। उक्त प्रकरण में उसने दिनांक 01.05.2018 को मोटरसाईकिल पल्सर वाहन संख्या आरजे 22 एसपी 7572 का मैकेनिकल मुआयना पुलिस थाना सादडी परिसर में खडी किया था, जो प्रदर्श पी. 14 है. जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उक्त वाहन के निम्न टूट–फूट आयी हुई थी– 1. मोटरसाईकिल के हैड लाईट पर दांयी तरफ रगड आयी हई थी। 2. मोटरसाईकिल के अगले ब्रेक का लीवर टूटा हुआ था। 3. मोटरसाईकिल की पेट्रोल टंकी दांयी तरफ से अंदर की तरफ फंसी हुई पाई गई। उक्त वाहन को चलाकर देखा था तो वाहन चालू हालत में था।

17. इसी क्रम में पी.डब्ल्यू 09 मोहनलाल ने अपने मुख्य परीक्षण में सशपथ बयान दिए हैं कि वह दिनांक 01.05.18 को पुलिस थाना सादडी में कानि. के पद पर पदस्थापित था। उस रोज अनुसंधान अधिकारी रणजीतसिंह ने मोटर साईकिल पल्सर वाहन संख्या आरजे 22 एसपी 7572 जब्त कर फर्द जब्ती मोटर साईकिल प्रदर्श पी. 12 मुर्तिब की थी। स्वतंत्र मौतबिर नहीं होने के कारण अनुसंधान

अधिकारी उसे व हैड कानि. सुरेन्द्रसिंह को मौतबिर मामूर कर फर्द जब्ती पर ए से बी हैड कानि. सुरेन्द्रसिंह व सी से डी उसके हस्ताक्षर करवाये थे।

18. इसी क्रम में पी.डब्ल्यू 10 रणजीतसिंह ने अपने मुख्य परीक्षण में सशपथ बयान दिए हैं कि वह दिनांक 20.04.2018 को पुलिस थाना सादड़ी में एएसआई के पद पदस्थापित था। उस रोज प्रार्थी पकाराम ने थाने में उपस्थित होकर दुर्घटना के संबंध में एक लिखित रिपोर्ट पेश की, जो प्रदर्श पी 01 है जिस पर ए से बी प्रार्थी हस्ताक्षर है. सी से डी व ई से एफ कार्यवाही पुलिस का पृष्ठांकन है जी से एच थानाधिकारी श्री पदमपालसिंह के हस्ताक्षर है जिनके हस्ताक्षर उनके साथ कार्य करने से पहचानता हूं। चाक एफआईआर प्रदर्श पी 15 है. जिस पर ए से बी थानाधिकारी श्री पदमपालसिंह के हस्ताक्षर है। उक्त रिपोर्ट पर मुकदमा नम्बर 68/2018 दर्ज कर प्रकरण का अनुसंधान उसके सौंपा गया। दौराने अनुसंधान उसने प्रार्थी पकाराम की निशादेही पर रूबरू मौतबिरान घटनास्थल का मौका देखा था. फर्द नक्शा मौका प्रदर्श पी. 02 है. जिस पर ए से बी प्रार्थी, सी से डी व ई से एफ मौतबिरान के व जी से एच उसके हस्ताक्षर है। उसने मजरूबान मांगीलाल व रतन कुमार की चोटें डॉक्टर को दिखाकर चोट प्रतिवेदन संलग्न पत्रावली किये। चोट प्रतिवेदन मांगीलाल प्रदर्श पी. 08 व चोट प्रतिवेदन रतन कुमार प्रदर्श पी. 05 है, जिन पर जी से एच उसके हस्ताक्षर है। मजरूब रतन कुमार के शरीर पर आयी चोट गंभीर प्रकृति की पायी जाने से अपराध धारा 338 भादस जोड़ी गयी। उसके द्वारा अनुसंधान के क्रम में प्रार्थी पकाराम, गवाहान् रतन कुमार, विनोद कुमार, मांगीलाल के बयान उनके कहे अनुसार लेखबद्ध किये जाकर शामिल पत्रावली किये। प्रकरण में दुर्घटनाग्रस्त मोटर साईकिल एचएफ डिल्क्स नम्बर आरजे 22 जेक्यू 6536 को जरिये फर्द जब्त प्रदर्श पी. 03 के जब्त किया, जिस पर ए से बी ई से एफ मौतबिरान के हस्ताक्षर व सी से डी रतन कुमार के, जी से एच उसके हस्ताक्षर है। उसने वाहन मोटर साईकिल की एमटीओ रिपोर्ट करवाकर संलग्न पत्रावली किये जो प्रदर्श पी. 13 है, जिस पर ए से बी एमटीओ के हस्ताक्षर है। दुर्घटना कारित करने वाले वाहन पल्सर नम्बर आरजे 22 एसपी 7572 को जरिये फर्द जब्ती प्रदर्श पी. 12 जब्त किया जिस पर ए से बी व सी से डी मौतबिरान के, ई से एफ मांगीलाल के व जी से एच उसके हस्ताक्षर है। उक्त वाहन का एमटीओ रिपोर्ट प्रदर्श पी. 14 है, जिस पर ए से बी एमटीओ कूपाराम के हस्ताक्षर है। आरोपी वाहन चालक को 133 व 134 एमवी एक्ट का नोटिस देकर जवाब प्राप्त किया, जो प्रदर्श पी. 16 है जिस पर ए से बी आरोपी का जवाब सी डी आरोपी के हस्ताक्षर व ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। दुर्घटनाग्रस्त व दुर्घटनाकारित करने वाले दोनों वाहन को फोटो प्राप्त कर संलग्न पत्रावली किये

जो प्रदर्श पी. 17 लगायत प्रदर्श पी. 23 है जिसके पृष्ठ भाग पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। बाद संपूर्ण अनुसंधान मुलजिम मांगीलाल के विरुद्ध धारा 279, 337, 338 भा.दं.सं. व 134/187 146/196 एमवी एक्ट का अपराध प्रमाणित मानकर पत्रावली वास्ते नतीजा हेतु थानाधिकारी को पेश की जिन्होंने न्यायालय में उच्च अधिकारी से निर्देश प्राप्त कर आरोपी के विरुद्ध उक्त धाराओं में आरोप पत्र पेश किया।

19. **पत्रावली पर साक्ष्य तथा उभयपक्ष की बहस के आधार पर न्यायालय का विवेचन इस प्रकार है:—** इस प्रकार उक्त विचारणीय बिंदु के संबंध में पत्रावली पर आयी दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों का विवेचन किया जाये तो दुर्घटना के प्रकरणों में सर्वप्रथम दुर्घटना कारित करने वाले वाहन चालक तथा वाहन की युक्तियुक्त संदेह से परे पहचान साबित करना आवश्यक है, तत्पश्चात् उक्त बिंदु साबित होने पर वाहन चालक द्वारा लापरहवाही व उपेक्षा से वाहन चलाते हुए दुर्घटना कारित करने के बिंदु को साबित करना होता है।

20. विचारणीय बिंदु के सकारात्मक निष्कर्ष के लिए निम्न तथ्यों का क्रमशः संदेह से परे प्रमाणित होना आवश्यक है:—

अ) क्या आलिप्त वाहन मोटरसाइकिल पल्सर आरजे—22—एसपी—7572 से दुर्घटना हुई है एवं आलिप्त वाहन संख्या पल्सर आरजे—22—एसपी—7572 मांगीलाल पुत्र हेमाराम द्वारा दुर्घटना के समय चलाया जा रहा था?

ब) क्या आलिप्त वाहन को अभियुक्त मांगीलाल पुत्र हेमाराम ने लोक मार्ग पर गफलत व लापरवाहीपूर्वक चलाया गया जिसके परिणामस्वरूप लोक मार्ग पर दुर्घटना कारित हुई?

स) क्या दुर्घटना के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति को चोट व उससे परिणामस्वरूप गंभीर चोटें कारित हुई?

<u>**निष्कर्ष:—**</u>

अ) क्या आलिप्त वाहन मोटरसाइकिल पल्सर आरजे—22—एसपी—7572 से दुर्घटना हुई है एवं आलिप्त वाहन संख्या पल्सर आरजे—22—एसपी—7572 मांगीलाल पुत्र हेमाराम द्वारा दुर्घटना के समय चलाया जा रहा था?

सर्वप्रथम पत्रावली पर आई साक्ष्य का विश्लेषण करने से पूर्व धारा 118 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के प्रावधान का उल्लेख करना आवश्यक है। उक्त प्रावधान गवाहों के संदर्भ में यह साधारण नियम प्रतिपादित करता है कि कौन न्यायालय में साक्ष्य देने के लिए गवाह के रूप में सक्षम है। जिसके अनुसार हर वह व्यक्ति जो उससे पूछे गये प्रश्नों को समझ सकता है एवं उनका औचित्य उत्तर दे सकता है, वह गवाह की

श्रेणी में आता है एवं साक्ष्य देने के लिए समक्ष है। जैरेमी बैंथम ने गवाहों के संदर्भ में कहा है कि वह न्याय के आंख व कान होते हैं। सुविधा की दृष्टि से एवं साक्ष्य के दोहराव को रोकने के लिए दोनों ही विचारणीय बिंदु पर विचार–विमर्श एक साथ किया जा रहा है।

जहां तक हस्तगत प्रकरण में प्रथम बिंदु दुर्घटना कारित करने वाले वाहन तथा वाहन चालक की पहचान का प्रश्न है तो प्रकरण में लिखित रिपोर्ट प्रस्तुतकर्ता परिवादी पी. डब्ल्यू. 01 पकाराम ने घटना के बारे में प्रथम सूचना रिपोर्ट की पुनरावृत्ति करते हुए यह कथन किया है कि वाहन मांगीलाल पुत्र हेमाराम निवासी भादरास चला रहा था। दुर्घटना में गलती मांगीलाल पुत्र हेमाराम की थी। उसने एफआईआर सादड़ी थाने में दी थी जो प्रदर्श पी. 01 है। जिरह में इस गवाह ने यह कथन किया है कि उसके भाई रतन का फोन आया था और एक्सीडेंट की बात उसे रतन ने बताई। रतन के कहे अनुसार उसने रिपोर्ट लिखाई। गाड़ी के नंबर आरजे 22 एसपी 7572 थे। गाड़ी के नंबर उसे उसके भाई ने बताए थे। उक्त गवाह के बयानों से यह गवाह घटना का चक्षुदर्शी गवाह नहीं है। इस गवाह को घटना की समस्त जानकारी उसके भाई रतन द्वारा दी गई थी। गवाह पी.डब्ल्यू. 02 रतन जो कि घटना का आहत है इसलिए रतन महत्वपूर्ण गवाह है। इस गवाह के बयानों का अवलोकन किया जावे तो इस गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण में घटना की दिनांक 19.04.2018 बताई है तथा यह कथन किया है कि घटना के दिन शाम 07.30 बजे एक प्लसर मोटर साईकिल तेज गति व लापरवाही से आई, जिसके नंबर आरजे 22 सीपी 7572 थे, जिसको मांगीलाल पुत्र हेमाराम भादरास चला रहा था। चालक के बारे में वहा खडे लोगों ने बताया कि वह मांगीलाल है। दुर्घटना में गलती मांगीलाल पुत्र हेमाराम की थी। इस गवाह से अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा विस्तृत जिरह की गई है। जिरह में इस गवाह ने यह कथन किया है कि अज्ञात व्यक्ति जो वहां भीड़ जमा होने पर आया था उसने मांगीलाल का नाम उसे बताया था। गाड़ी के नंबर उसने लिखवाए थे। मोटरसाईकिल के नंबर आरजे 22 सीपी 7572 नंबर थे। उसने मुलजिम को भागते वक्त देखा था। उसके गांव वाले आए और उसे भगा दिया। दूसरे लोगों ने उसे उसका नाम बताया। गाड़ी को आते हुए उसने देखा था। गाड़ी लहराती हुई आ रही थी। उसके सामने से एक और गाड़ी वाला आया था। वे खड़े थे। मांगीलाल को लहराते हुए आते देखकर सामने से अचानक एक गाड़ी आई। मांगीलाल का बैलेंस नहीं रहा और वो आकर उनसे टकराया। इसके अतिरिक्त दुर्घटना में आलिप्त वाहन संख्या आरजे 22 सीपी 7572 को भी गवाह ने अपनी जिरह में स्वीकार किया है। गवाह पी.डब्ल्यू. 03 मांगीलाल जो घटना का आहत है। इस गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण में वाहन के नंबर आरजे 22 सीपी 7572 होना तथा वाहन चालक मांगीलाल पुत्र हेमाराम होना

बताया है तथा दुर्घटना में गलती मांगीलाल पुत्र हेमाराम की होने का कथन किया है। इस गवाह ने अपनी जिरह में कथन किया है कि जिस समय घटना घटित हुई थी वह मांगीलाल को नहीं जानता था। उसे किसी गांव वाले ने मांगीलाल का नाम बताया था। इसके अतिरिक्त गवाह ने प्रदर्श डी 01 का ए से बी भाग व बी से सी भाग पुलिस को नहीं लिखाने का कथन किया है। इस प्रकार इस गवाह द्वारा वाहन चालक की पहचान गांव वाले के द्वारा करने के संबंध में कथन किए हैं। अन्य गवाह पी.डब्ल्यू. 04 विनोद के बयानों का अवलोकन किया जावे तो इस गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण में वाहन के नंबर व वाहन के चालक के संबंध में नकारात्मक साक्ष्य दी है। सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा जिरह करने पर इस गवाह ने यह कथन किया है कि यह कहना गलत है कि पुलिस वालों ने बाईक के नंबर आरजे 22 एसपी 7572 बताए हैं। यह बात सही है कि प्लसर चालक जिसने उसे टक्कर मारी, वह तेज गति व लापरवाही से आया। अब न्यायालय के समक्ष वाहन चालक की पहचान स्थापित करने के लिए एक अन्य महत्वपूर्ण प्रदर्श पी. 16 नोटिस 133 व 134 एमवी एक्ट है, जिसका अवलोकन किया जावे तो इस नोटिस में मांगीलाल ने वक्त दुर्घटना दिनांक 19.04.2018 को मोटरसाईकिल उसके द्वारा चलाए जाने का कथन किया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि धारा 133 व 134 एमवी एक्ट का नोटिस दौराने अनुसंधान एकत्र किया गया दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में है। जिसकी संपुष्टि अभियोजन के गवाहों द्वारा की जानी आवश्यक है। इसके अतिरिक्त आहत मांगीलाल पुत्र मोहनलाल व रतन द्वारा वाहन चालक का नाम जिन गांव वालों के माध्यम से ज्ञात हुआ है वे गांव वाले हस्तगत प्रकरण में चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में सर्वोत्तम साक्षी हो सकते थे परंतु ऐसा कोई स्वतंत्र साक्षी जो घटना का चक्षुदर्शी गवाह हो व वक्त दुर्घटना मौके पर उपस्थित हो को अभियोजन की ओर से परीक्षित नहीं करवाया गया है। मात्र मुलजिम मांगीलाल को धारा 133 व 134 एमवी एक्ट के आधार पर मुलजिम होना तय नहीं किया जा सकता, जब तक कि उक्त नोटिस से अन्यथा भी मुलजिम का आरोपित अपराध में सम्मिलित होना साबित नहीं हो सके। आहत मांगीलाल पुत्र मोहनलाल व रतन द्वारा यह भी कथन अपने बयानों में नहीं किया है कि वह मुलजिम को पहले से जानता था न ही मुलजिम की पहचान परेड न्यायालय के समक्ष सुनिश्चित की गई है। इसके अतिरिक्त गवाह/आहत पी.डब्ल्यू. 04 विनोद ने वाहन चालक व वाहन के संबंध में नकारात्मक साक्ष्य दी है। उपरोक्त विवेचन के अनुसार मुलजिम मांगीलाल की पहचान संदेहास्पद है। इसके अतिरिक्त फर्द जब्ती प्रदर्श पी. 12 के द्वारा प्लसर मोटर साईकिल आरजे 22 एसपी 7572 को मुलजिम मांगीलाल से जब्त किया गया है तथा प्रदर्श पी. 21 में दर्शित फोटोग्राफ्स में भी आरजे 22 एसपी 7572 वाहन दृष्टिगत है। उपरोक्त विवेचनानुसार आलिप्त वाहन

संख्या पल्सर आरजे–22–एसपी–7572 मांगीलाल द्वारा दुर्घटना के समय चलाया जा रहा था अप्रमाणित रहा है इसलिए यदि यह प्रमाणित भी मान लिया जावे कि आलिप्त वाहन मोटरसाइकिल पल्सर आरजे–22–एसपी–7572 से दुर्घटना हुई है तो भी वाहन चालक की पहचान न होने से उक्त तथ्य महत्वहीन है। लिहाजा अभियोजन पक्ष अपने मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्त की पहचान को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है।

ब) क्या आलिप्त वाहन को अभियुक्त मांगीलाल पुत्र हेमाराम ने लोक मार्ग पर गफलत व लापरवाहीपूर्वक चलाया गया जिसके परिणामस्वरूप लोक मार्ग पर दुर्घटना कारित हुई?

जहां तक उपेक्षा एवं उतावलेपन से वाहन चलाए जाने का प्रश्न है तो इस संबंध में न्यायालय का मत है कि उपेक्षा का अर्थ दोषपूर्ण असावधानी या आदर्श आचरण का अनुपालन है। इसका अर्थ सतर्कता का अभाव है जिसका कि उन विशिष्ट परिस्थितियों में प्रतिपादन विधिक अधिकार है, उपेक्षा के मामले में पक्षकार वह कार्य नहीं करता जिसको करने के लिए वह बाध्य है। वह एक निश्चायक कर्तव्य का पालन करता है तो उस कार्य की ओर ध्यान नहीं देता है जिस पर ध्यान देना उसका कर्तव्य है। आपराधिक उतावलापन यह जानते हुए भी, उससे अवैध तथा अहितकारी परिणाम होंगे, कार्य करना है, किंतु इस आशा से कि वे परिणाम नहीं होंगे, उतावलेपन में पक्षकार वह कार्य करता है जिसको न करने के लिए वह बाध्य था और वह एक नकारात्मक कर्तव्य का उल्लंघन करता है। चूंकि वक्त दुर्घटना वाहन चालक के रूप में अभियुक्त की पहचान संदेह से परे प्रमाणित नहीं हो पायी है। ऐसे में लापरवाही व उपेक्षा के बिंदु के विवेचन व विश्लेषण किए जाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। इस प्रकार की विधि माननीय राज. उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत 1990 (1) आरएलडब्ल्यू 97 (राज.) संग्राम सिंह बनाम राजस्थान के मामले में भी प्रतिपादित की गई है। अतः बिन्दु संख्या 03 का विवेचन व विश्लेषण किये जाने का औचित्य नहीं होने के कारण इस बिंदु पर कोई निष्कर्ष नहीं दिया जा रहा है।

21. अतः उपरोक्त समस्त विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार पर एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य सामग्री के अवलोकन से अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त को आरोपित अपराध में अभिलेख पर साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

WEB COPY NOT OFFICIAL

–: **आदेश** :–

22. अतः अभियुक्त मांगीलाल पुत्र हेमाराम, निवासी भादरास, सादडी, जिला पाली को अंतर्गत धारा 279, 337, 338 भारतीय दण्ड संहिता व 134/187, 146/196 एमवी एक्ट साक्ष्य के अभाव में, संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त के नियमित उपस्थिति बाबत् जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

23. अभियुक्त को निर्देश दिया जाता है कि इस निर्णय के विरुद्ध अपील/निगरानी न्यायालय में होने पर न्यायालय में उपस्थिति के लिए धारा 437ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत रुपये 10 हजार के छह माह की अवधि का स्वयं का बंधपत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत कर तस्दीक करावे।

24. प्रकरण में जब्तशुदा वाहन सुपुर्दगी पर दी गई है तो जमानतनामा व सुपुर्दगीनामा बाद गुजरने म्याद अपील/अपील न होने की सूरत में निरस्त समझा जावे।

(हिमानी कच्छवाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
सादड़ी, पाली

25. निर्णय आज दिनांक 08.06.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर हस्ताक्षरित एवं अभिघोषित किया गया।

(हिमानी कच्छवाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
सादड़ी, पाली

<u>नोट</u> :– 01. निर्णय/आदेश की यह प्रति मात्र अधिवक्ता/पक्षकारों के पढ़ने के उद्देश्य से अपलोड की गई है। 02. सभी विधिक प्रयोजन हेतु निर्णय/आदेश की सत्यप्रति सामान्य (सिविल एवं दाण्डिक) नियम, 2018 के प्रावधानुसार न्यायालय से प्राप्त की जावें।